3. बिहार	147
4. गुजरात	27
5. हरियाणा	22
6. हिमाचल प्रदेश	14
7. जम्मू तथा कश्मीर	11
8. कर्नाटक	66
9. केरल	32
10. मध्य प्रदेश	152
11. महाराष्ट्र	62
12. मणिपुर	—
13. मेघालय	1
14. नागालैंड	—
15. उड़ीसा	86
16. पंजाब	17
17. राजस्थान	48
18. तमिलनाडू	48
19. त्रिपुरा	—
20 उत्तर प्रदेश	235
21. पश्चिम बंगाल	77
22 अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—
23. अरुणाचल प्रदेश	1
24. चण्डीगढ़	5
25. दादरा तथा नागर हवेली	—
26. दिल्ली	14
27. गोवा दमण और दीव	—
28. लक्षद्वीप	—
29. मिजोरम	1
30. पांडिचेरी	1
31. सिक्कम	1
जोड़	1133

राष्ट्रीयकृत बैंकों में लिपिकों तथा लिपिकों एवं टंककों के चयन में एकरूपता

7561. **श्री तारिक अनवर :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में लिपिकों तथा लिपिक-एवं-टंककों, आदि के पदों के लिये चयन के लिए बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों में कोई एकरूपता नहीं है ;

(ख) यदि हाँ, तो विभिन्न बोर्डों द्वारा उपरोक्त पदों के लिये चयन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया एवं मानदण्ड के ब्यौरे क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर (जो कि कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के आधार पर) (पहले ली जा रही है) उनकी दक्षता परीक्षा के आधार पर (लिपिक एवं टंकक के लिये) करने का है ;

(घ) क्या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिपिकों की भर्ती केवल लिखित परीक्षा और टाईप परीक्षा के आधार पर की जाती है ;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड का विचार साक्षात्कार पद्धति को समाप्त करने का है ; और

(च) यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा लिपिकों तथा लिपिकों-एवं-टंककों की भर्ती के लिए एक सी प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा भारत सरकार के परामर्श से तैयार की गई चयन प्रक्रिया के अनुसार उन सभी पात्र उम्मीदवारों को, जिन्होंने समय पर आवेदन किया हो विहित शुल्क भेजा हो, लिखित परीक्षा के लिये बुलाया जाता है । लिखित परीक्षा में वस्तुपरक (ऑब्जेक्टिव) तथा वर्णनात्मक किस्म की परीक्षाएं शामिल होती हैं। उम्मीदवारों को वर्णनात्मक किस्म की परीक्षा में केवल

सफलता अंक (पास मार्कस) प्राप्त करने की आवश्यकता होती है तथा इसमें प्राप्तांकों पर योग्यता रैंकिंग (मैरिट रैंकिंग) के प्रयोजन के वास्ते विचार नहीं किया जाता लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त उम्मीदवारों को व्यक्तिगत साक्षात्कार से पहले उनकी दक्षता-परीक्षा भी ली जाती है। लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार की महत्ता का अनुपात 2:1 होता है। तत्पश्चात् योग्यता सूची (मैरिट लिस्ट) तैयार की जाती है जो कि उपलब्ध रिक्तियों की संख्या पर निर्भर होती है और उनमें से उम्मीदवारों को विभिन्न अभियाचक बैंकों को आवंटित किया जाता है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) और (च) उन उम्मीदवारों के चयन के प्रयोजनार्थ साक्षात्कार (इन्टरव्यू) को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है जो कि लिखित परीक्षा में सफल हो जाते हैं और, जहाँ कहीं लागू हो, कौशल परीक्षा पास कर लेते हैं, क्योंकि साक्षात्कार (इन्टरव्यू) को उन विशेषताओं को आंकने के लिए भर्ती प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग समझा जाता है, जो कि अकेले लिखित परीक्षा द्वारा नहीं आंकी जा सकती। सरकार के विपरीत राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों को अधिकारियों के संवर्ग में अतिशीघ्र ही पदोन्नति के अवसर मिल जाते हैं और, उनसे, तुलनात्मक दृष्टि से, थोड़े समय के भीतर ही ऊंची जिम्मेवारी के निर्वहन की आशा रहती है। अतः चयन में श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए, विशेष रूप से लिपिकीय संवर्ग के स्टाफ को उपलब्ध पदोन्नति के बेहतर और शीघ्र अवसरों को दृष्टिगत रखते हुए, साक्षात्कारों को अनिवार्य समझा गया है।

Indianisation Of Shares By Foreign Companies

7562. SHRI BRAJIMOHAN MOHANTY : Will the Minister of FINANCE pleased to state :

(a) whether many foreign compenies have not Indianised their shares as required under the Foreign Exchange Regulation Act and majority of shares still belong to foreigners;

(b) whether any of them have been given fresh letters of intent after the said Act came into operation, with details; and

(c) total investment of each of the foreign companies with their export performence in the years 1980, 1981 and 1982 ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) No, Sir. 895 companies had made applications under Section 29 (2) (a) of FERA, 1973 to carrry on their activities in India. Barring only 33 companies, the cases of all other companies have been finally decided and the requisite adjustment in foreign equity levels, whereever necessary, has also been brought about the details of the 33 companies referred to is given in annexure.

(b) Details of letters of intent given under the Industries (Development and Regulation) Act to all companies, whether FERA or non-FERA companies, are compiled and published in the Monthly News letter of the Indian Investment centre.

(c) The percentage of foriegn equity in the 33 companies referred to in part (a) is also given in the annexure. Data on exports of these companies are not available. Statutorily they are required to fumish information on exports in their published accounts. If export data in respect of any particular company is required, this can be collected and furnished.